

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ10()उप चुनाव/स्वा.शा./23/3165 दिनांक:- 4/8/2023

अधिसूचना

राज्य के 09 जिलों की 01 नगर निगम, 04 नगर परिषद तथा 05 नगर पालिकाओं के निम्नांकित सदस्यों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन किया जाना है :-

क.सं.	जिले का नाम	नगर निगम /परिषद/पालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1.	अजमेर	नगर परिषद ब्यावर	33
2.	बांसवाडा	नगर परिषद बांसवाडा	33
3.	भरतपुर	नगर निगम भरतपुर	55
4.	बूंदी	नगर पालिका इन्द्रगढ	04
5.	चित्तौडगढ	नगर पालिका बडीसादडी	07
6.	जालौर	नगर पालिका भीनमाल	37
7.	नागौर	नगर पालिका कुचेरा	18
	नागौर	नगर परिषद कुचामनसिटी	16
08.	सवाईमाधोपुर	नगर परिषद सवाईमाधोपुर	22
09.	टाँक	नगर पालिका उनियारा	02

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर, ऊपर वर्णित नगर निकायों के वार्डों के सदस्य पद के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद्वारा मतदान की तिथि **20.08.23 (रविवार)** नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकायों के रिक्त वार्डों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह सदस्य पद के स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार अपने वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश/कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ10()उप चुनाव/स्वा.शा./23/3166 3216

दिनांक:- 4/8/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव/निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
05. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. जिला कलेक्टर, अजमेर/बांसवाडा/ भरतपुर/बूंदी/चित्तौडगढ/जालौर/नागौर/ सवाईमाधोपुर /टौंक ।
07. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
08. निदेशक/अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक दिनांक: 04/08/2023 में प्रकाशनार्थ।
09. निदेशक जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण / समस्त अनुभाग निदेशालय ।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. समस्त संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/नगर निगम/ परिषद/पालिका/भरतपुर /ब्यावर /बांसवाडा/कुचामनसिटी/सवाईमाधोपुर/इन्द्रगढ/बडीसादडी/भीनमाल/कुचेरा/उनियारा ।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
13. सुरक्षित पत्रावली

015/8/2023 (संजय माधुस)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी